राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2989/2025

विपिन कुमार जैन

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग एवं पदेन निदेशक, उपभोक्ता मामले, सचिवालय, जयपुर।
3. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़।
4. जिला सप्लाई अधिकारी (सीएसओ), प्रतापगढ़।
5. निलेश कुमार खांट वर्तमान जिला आपूर्ति अधिकारी (डीएसओ), डूंगरपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.06.2025
आदेश की दिनांक : 09.06.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री त्रिभवन नारायण सिंह, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को आदेश दिनांक 20–09–2022 के अनुसरण में दिनांक 23–09–2022 से जिला आपूर्ति अधिकारी, डूंगरपुर के कार्यालय में प्रवर्तन अधिकारी, डूंगरपुर के पद पर पदस्थापित किया गया था। इसके बाद अपीलार्थी को दिनांक 30–05–2025 के आदेश के तहत जिला आपूर्ति अधिकारी, कोटा के कार्यालय में प्रवर्तन अधिकारी के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया। उक्त आदेश में अपीलार्थी का नाम क्रमांक 01 पर दर्ज है। डूंगरपुर से कोटा की कुल दूरी लगभग 387 किलोमीटर है। इसके अलावा, अपीलार्थी को दिनांक 30–05–2025 के आदेश के तहत अनुसूचित क्षेत्र से गैर–अनुसूचित क्षेत्र कोटा स्थानांतरित कर दिया गया है। अपीलार्थी ने अभी तक नई तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी को शुरू में अनुकंपा के आधार पर प्रवर्तन निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था और उसने दिनांक 17–09–1994 को बांसवाड़ा में कार्यभार ग्रहण किया। तत्पश्चात अपीलार्थी को आदेश दिनांक 19–12–2012 (अनुक्रम संख्या 3) के तहत प्रवर्तन अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया और उसने दिनांक 20–12–2012 को ऋषभदेव, उदयपुर में उक्त पद

पर कार्यभार ग्रहण किया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 20–09–2022 (अनुक्रम संख्या 4) के तहत डूंगरपुर स्थानांतरित किया गया और तदनुसार, उसने दिनांक 23–09–2022 को जिला आपूर्ति अधिकारी, डूंगरपुर के कार्यालय में प्रवर्तन अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। दिनांक 30–05–2025 (क्रम स. 01) के आदेश के अनुसार अपीलार्थी को गैर–अनुसूचित क्षेत्र (गैर–टीएसपी क्षेत्र) अर्थात कोटा में स्थानांतरित कर दिया गया है। (अनुलग्नक–2) कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार ने दिनांक 17–07–2014 को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अनुसूचित क्षेत्र एक बंद कैडर है। उक्त परिपत्र के अनुसार, अनुसूचित क्षेत्र से बाहर पोस्टिंग चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को इस आशय का विकल्प प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, इस तरह के अनुरोध पर तभी विचार किया जाएगा जब अनुसूचित क्षेत्र में उक्त पद पर कोई उपयुक्त प्रतिस्थापन शामिल हो जाए। (अनुलग्नक–3) उसके बाद कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार ने अनुसूचित क्षेत्र में सेवा शर्तों के संबंध में दिनांक 28–04–2015 को एक और परिपत्र जारी किया। इस परिपत्र में दिनांक 17–07–2014 के पिछले परिपत्र के प्रावधानों को दोहराया गया तथा विकल्प प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। (अनुलग्नक–4) आधिकारिक प्रतिवादियों ने दिनांक 05–05–2025 के आदेश के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में पदों का एक अलग कैडर गठित किया। यह आदेश कार्मिक विभाग, राजस्थान के दिनांक 28–04–2015 के परिपत्र और अन्य बाद के परिपत्रों के अनुसार जारी किया गया था। अनुसूचित क्षेत्र में छह जिले शामिल हैं:– बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूंबर, सिरोही और उदयपुर। इन अनुसूचित क्षेत्र जिलों के भीतर, प्रवर्तन अधिकारी के पद के लिए कुल नौ (09) स्वीकृत पद हैं। (अनुलग्नक–5) अपीलार्थी अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी क्षेत्र) का स्थायी निवासी है, विशेष रूप से जिलारू डूंगरपुर, जहाँ उसका परिवार रहता है। अपीलार्थी ने दिनांक 30–05–2025 के आदेश से व्यथित होकर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दिनांक 02–06–2025 को ई–मेल के माध्यम से अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आदेश दिनांक 30.05.2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को जिला आपूर्ति अधिकारी, डूंगरपुर के कार्यालय में प्रवर्तन अधिकारी, डूंगरपुर के पद पर नियुक्ति के संबंध में निर्देश दिए जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि

वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आदेश से आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य